It has also recommended the inclusion of persons holding posts in higher Judicial Service in various States at the time of initial Constitution of the Service. The establishment of a National Judicial Service Commission for the recruitment of the Members of the Service has been rcommended.

•

पंजाब नेशनल बैंक में अधिवक्ताओं की नामिका बनाना

2041. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय तथा मण्डलीय कार्यालयों में अधिवक्ताओं की नामिका बनायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से ऐसे अधिवक्ताओं के नाम क्या हैं, जिन्हें मुकदमे सौंपे गए हैं, साथ ही उन्हें कितने मुकदमे सौंपे गए हैं उन मुकदमों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके लिए शुल्क के रूप में कितनी राशि अदा की गयी है ;

(ग) इन मुकदमों के लिए अदा किए गए शुल्क के अतिरिक्त इन कार्यों के लिए अदा किए गए शुल्क का ब्यौरा क्या है, और प्राप्तकर्ताओं के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मुकदमा सौंपने तथा शुल्क अदायगी के कार्य में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार वकीलों को मुकदमे सौंपने और शुल्क की अदायगी के संबंध में कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाता है । वकील को मामला सौंपने तथा उसको अदा किए जाने वाले शुल्क की राशि का निर्धारण मामले की प्रगति, मामले में अन्तर्ग्रस्त राशि, वकील की विशिष्ट विशेषज्ञता तथा वकील द्वारा मुकदमें लड़ने के बारे में बैंक का अनुभव, मामले के लिए बैंक द्वारा वकील से चाहा गया समय तथा वकील से प्रयास आदि जैसी कई बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

Opinion of Attorney General of India on show cause notices issued to M|s ITC Limited

2042. SHRI VIRENDRA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have since received opinion of the Attorney General of India in the matter pertaining to Director General's Inspection Order dated 10th April, 1986 in respect of M|s. ITC Limited;

(b) whether Government have issued any directive to all the Collectors of Central Excise to issue revised show cause notices in accordance with the Attorney General's opinion; if so, what are the details;

(c) what are the confirmed amounts of demand notices of each Collectorate of Central Excise served on M|s. I.T.C. Limited; and

(d) what are the reasons for not taking any effective steps to recover the confirmed demands from M|s. ITC Limited?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. All the Collectors of Central Excise were asked to take action in respect of show cause notices/demands already issued which require to be revised/ modified in view of the said opinion of the Attorney General of India.